

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि- 18.02.2026

विज्ञापन संख्या-12/2025

औषधि निरीक्षक सीधी नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक-139(16) दिनांक-22.08.2024 द्वारा राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय, नामकुम, राँची अंतर्गत औषधि निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में **One Time Registration (OTR) System** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ					आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)
			अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व० (अनु०-I)	पि०व० (अनु०-II)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	औषधि निरीक्षक	30	18	05	02	01	02	02

2. वेतनमान — PB-II, रू० 9300-34800 ग्रेड वेतन रू० – 5400 (level-9)
3. पद — स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव:-

पद	शैक्षणिक अर्हता
औषधि निरीक्षक	औषधि निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से औषधि निर्माण विज्ञान या औषधि विज्ञान या नैदानिक भेषजगुण विज्ञान में विशेषज्ञता सहित आयुर्विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में डिग्री है। (औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 के अधीन विनिर्मित नियमावली 1945 के नियम 49 में यथाविहित) केवल उन्हीं निरीक्षकों की,— (i) जिन्हें अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में कम से कम एक के विनिर्माण का कम से कम 18 मास का अनुभव है या (ii) जिन्हें अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रयोगशाला में अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से कम से कम एक का परीक्षण करने का कम से कम 18 मास का अनुभव है, या (iii) जिन्हें औषधि निरीक्षक के रूप में अपनी सेवा की अवधि के दौरान अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट किसी पदार्थ का विनिर्माण करने वाली फर्मों का निरीक्षण करने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है, अनुसूची ग में उल्लिखित पदार्थों के विनिर्माण का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

Drug Inspector	A person who is appointed as an inspector under the Act shall be a person who has a degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology from a University established in India by law (as per Rule No. 49 of Drug & Cosmetics Rules 1945). Provided that only those Inspectors:- (i) Who have not less than 18 months experience in the Manufacture of atleast one of the substance specified in Schedule C, or (ii) Who have not less than 18 months experience in testing of atleast one of the substances in Schedule C in a laboratory approved for this purpose by the licensing authority, or (iii) Who have gained experiences of not less than three years in the inspection of firms manufacturing any of the substances specified in Schedule C during the tenure of their services as Drugs Inspectors, shall be authorised to inspect the manufacture of the substances mentioned in Schedule C.
-----------------------	--

6. उम्र गणना की संदर्भ तिथि— 01.08.2024

- (a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।
- (b) अधिकतम उम्र सीमा :- संकल्प संख्या-29 दिनांक-04.01.2021 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	35 वर्ष	45 वर्ष

7. चयन प्रक्रिया:—लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी।

लिखित एवं मौखिक परीक्षा का स्वरूप :-

- (a) लिखित परीक्षा :- वस्तुनिष्ठ (Objective Type) होगी, जिसमें 200-200 अंको के निम्न 5 (पाँच) पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र के लिए 2 (दो) घण्टे का समय निर्धारित रहेगा।

क्र० सं०	प्रश्नपत्र	योग्यता	विषय	पूर्णांक
लिखित परीक्षा के पत्र				
1.	प्रथम पत्र	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences	Pharmaceutics	200
		Degree in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology	General Medicine	
2.	द्वितीय पत्र	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences	Microbiology	200
		Degree in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology		
3.	तृतीय पत्र	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences	Pharmacology	200
		Degree in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology		
4.	चतुर्थ पत्र	Degree in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology	Pharmaceutical Chemistry	200
		Degree in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology	Biochemistry	
5.	पंचम पत्र	Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences	Pharmaceutical Jurisprudence & Ethics	200
		Degree in Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology		
साक्षात्कार				
6.		Interview		100
Total				1100

- (c) पाठ्यक्रम – लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट www.ipsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- (d) न्यूनतम अर्हतांक:—कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 एवं ज्ञापांक-3928 दिनांक-11.08.2020 के अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् है:—

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर-I)	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति	30 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत

8. **आरक्षण का लाभ :-** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :-**

- आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 द्वारा अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ग) **जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-**

- (a) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5/प्रपत्र-V (संशोधित/Amended), पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 प्रपत्र-4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) एवं पत्रांक-1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा विहित प्रपत्र-IV/प्रपत्र-4 में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- (b) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-**झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-XI/प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र-XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

- केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-XI/Form-11 Required अंकित हो तो Form-XI/Form

11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

- (c) **आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:**— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या—1433 दिनांक—15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध एवं अद्यतन “आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र” के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।
- (d) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में, नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (e) आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

9. **(i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- Impersonating, or
- Procuring impersonation by any person, or
- Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- Using unfair means during the test, or
- Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.

- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
- to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के संगत धाराओं के अन्तर्गत अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. परीक्षा शुल्क :-

- परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जाएगा। जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- परीक्षा शुल्क में छूट-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु0-150/-(एक सौ पचास) मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है।

11. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर One Time Registration (OTR) System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

- (ii) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) ऑनलाईन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to Register for OTR” आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.—+919431301636, +919431301419 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (iv) One Time Registration (OTR) System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदन अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- (v) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (vi) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (vii) जन्म तिथि—आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (ix) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (xi) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध “**Download Filled Application Section**” से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
- (xii) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र यथा—शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

- (xiii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (xiv) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
- (xv) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्टि करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रतिष्ठित करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।
- (xvi) ऑनलाईन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:—+918929883832 परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.—+918929883832, एवं E-mail Id:—helpdesk@jpsc OTR.com पर संपर्क किया जा सकता है।
- (xvii) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (xviii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xix) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति **कंडिका-11(xx)** के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों-हाथ आयोग कार्यालय के पते **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001** पर निर्धारित तिथि—**05.03.2026** अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर **विज्ञापन संख्या-12/2025** तथा **पद का नाम-औषधि निरीक्षक**, OTR No....., Registration No....., मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी जमा करने के साथ-साथ OTR में वांछित Document Upload करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।
- (xx) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप निम्नलिखित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
 - इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
 - भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से औषधि निर्माण विज्ञान या नैदानिक भेषजगुण विज्ञान में विशेषज्ञता सहित आयुर्विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में डिग्री है।
(A degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with Specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology)

(IV) अनुभव-विज्ञापन की कंडिका-05 के अनुसार अनुभव प्रमाण प्रमाण पत्र की छायाप्रति

(V) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।

(VI) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।

नोट—क्षैतिज आरक्षण हेतु सभी वर्ग के महिला एवं दिव्यांग जनों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।

(VII) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

(VIII) अनापति प्रमाण पत्र (झारखण्ड सरकार के स्थायी सेवकों को उम्र सीमा में छूट हेतु)

(xxi) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-11(xx) के अनुरूप सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. अंतिम तिथि :-

- (a) आवेदक **One Time Registration System (OTR)** के माध्यम से दिनांक-29.01.2026 से दिनांक-18.02.2026 संध्या 05:00 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।
- (b) दिनांक-18.02.2026 के बाद दिनांक-19.02.2026 संध्या 05:00 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0 / -

सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।